

(2)

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड (राज०)
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/ 137
दायर दिनांक 20/07/23
धारा 136 एल.आर.एक्ट

उनवान- पूरीलाल पिता हरिराम वगै० कुल्मी नि० रामपुरिया तहसील रायपुर
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड राज०

आदेश दिनांक 20/07/2023

उक्त उनवानी प्रकरण मे ग्राम रामपुरिया तहसील रायपुर जिला झालावाड के तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशसा के आधार पर के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल सालरी तहसील रायपुर की आराजी खसरा नम्बर 13 व 326/13 की वर्तमान में दर्ज तरमीम को तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल सालरी तहसील रायपुर	13 व 326/13	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार

संलग्न:- नजरी नक्शा किता-1

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)
दिनांक 20/7/23

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 137
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार रायपुर को आदेश प्रति भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

